झारखण्ड सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय

झारखण्ड जन्म और रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2009

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2009

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1969 का 18)की धारा 30 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से झारखण्ड की राज्य एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है यथाः-

1- **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** -

(1) यह नियमावली झारखण्ड जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2009 कहलायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(4) यह नियमावली बिहार जन्म- मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1970 और उसमें समय-समय पर बाद में किए गये संशोंधनों को प्रतिस्थापित करेगी।

2.परिभाषाएं- इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनयम" से अभिप्रेत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1969,

(ख) " फारम" से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संलग्न फारम, और

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

3. गर्भावधि - धारा 2 की उपधारा (1) के खंड(छ) के प्रयोनार्थ गर्भावधि 28 (अट्ठाइस) सप्ताह की होगी।

4- धारा 4 (4) के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करनाः-

धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन हरेक वर्ष के लिए प्रतिवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित फारम में तैयार किया जाएगा और वह धारा 19 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकी प्रतिवेदन के साथ उस वर्ष, जिससे यह प्रतिवेदन संबंधित हो, के पश्चात्वर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

5- जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फारम आदिः-

(1) रजिस्ट्रार, को जन्म मृत्यु और मृत-जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए यथास्थिति, धारा-8 या धारा-9 के अधीन दी जानेवाली अपेक्षित सूचना क्रमशः फारम 1, 2 और 3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रूप से प्रतिवेदन-फारम कहा जाता है में दी जायेगी। यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन फारमों में उसकी प्रविष्टि की जायेगी और सूचना देने वाले का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन फारम की विधिक् सूचना वाला भाग विधिक् भाग कहलायेगा और सांख्यिकीय सूचना वाला भाग "सांख्यिकी भाग" कहलायेगा।

(3) उपनियम-(1) में विनिर्दिष्ट सूचना जन्म, मृत्यु और मृत -जन्म की तारीख से 21 (इक्कीस) दिन के भीतर दी जायेगी।

6. यान में जन्म-मृत्यु :-

(1) यदि किसी गतिमान यान में कोई जन्म या, मृत्यु होती हो तो यान का प्रभारी व्यक्ति धारा -8 की उपधारा-1 के अधीन प्रथम विराम-स्थान पर उसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनार्थ "यान" शब्द से अभिप्रेत है भूमि, वायु या जल पर प्रयुक्त होनवाली किसी भी प्रकार की सवारी और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान, नाव, पोत, रेलवाहन, मोटरकार, मोटर साईकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा भी सम्मिलित है।

(2) ऐसी मृत्यु की दशा में जो धारा-8 की उपधारा &1 के खण्ड (क) से (ड़) के अन्तर्गत नहीं आती हो और जिसमें मृत्यु की जाँच-पड़ताल की हो धारा-8 की उपधारा-1 के अधीन इसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

7- धारा' 10 (3) के अधीन प्रमाण-पत्र का फारम :-

मृत्यु के कारण के संबंध में धारा -10 की उपधारा-(3) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र फारम-4 या 4 (क) में जारी किया जायेगा और रजिस्ट्रार मृत्यु के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् उस माह के ऐसे सभी प्रमाण-पत्र, जिससे प्रमाण-पत्र संबंधित हो, के ठीक अगले माह की 10 तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेशित करेगा।

8. धारा-12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जानाः-

(1) सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से संबंधित रजिस्ट्रर से धारा-12 के अधीन दिये जानेवाले प्रविष्टियों के उद्धरण, यथास्थिति, फारम संख्या-5 या फारम संख्या-6 में होगा।

(2) धारा-8 की उपधारा (1) के खण्ड "क" में निर्दिष्ट घर में होने वाले जन्म और मृत्यु की घटनाएँ जिनकी जानकारी रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को सीधे भेजी जाती है, की दशा में यथास्थिति घर अथवा परिवार के मुखिया जैसा भी मामला हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित घर के मुखिया का कोई निकटतम रिश्तेदार जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण, उसकी सूचना दिये जाने के 30 (तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार से प्राप्त कर सकेगा।

(3) धारा'8 की उपधारा-1 के खण्ड "क" में निर्दिष्ट घर में होने वाली जन्म और मृत्यु, जिनकी जानकारी उक्त धारा की उपधारा-2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दी जाती हो, की दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से प्राप्त उद्धरण, यथास्थिति, सम्बद्ध घर अथवा परिवार के मुखिया को अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित मुखिया के किसी निकटतम रिश्तेदार को रजिस्ट्रार द्वारा उद्धरण जारी करने के 30 (तीस) दिन के भीतर देगा।

(4) धारा-8 की उपधारा &1 के खण्ड -(ख) से (ड) में विनिर्दिष्ट संस्थागत जन्म-मृत्यु की दशा में नवजात शिशु अथवा मृतक का नजदीकी रिश्तेदार संबंधित

संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति से जन्म अथवा मृत्यु की घटना घटने के 30 (तीस) दिन के भीतर उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

(5) यदि उप-नियम (2) से (4) में यथा निदेशित संबंधित व्यक्ति द्वारा नियत अवधि तक जन्म अथवा मृत्यु के उद्धरण प्राप्त नहीं किये जाये तो रजिस्ट्रार अथवा उप नियम-4 में यथा उल्लिखित संबंधित संस्थान के आधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर संबंधित परिवार को डाक से उद्धरण भेज देगा।

9. विलम्बित रजिस्ट्रकरण का प्राधिकारी और उसके लिए देय फीसः-

(1) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना, नियम-5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण 1/-रूपया (एक रूपया) विलम्बित फीस के भुगतान करने पर किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को, उसके होने के तीस (30 दिनों के पश्चात् परन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है, उसका रजिस्ट्रीकरण इस निमित्त विहित पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और 1/- रूपया (एक रूपया) विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

(3) यदि किसी जन्म या मृत्यु का, उसके होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं होता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट (कार्यपालक, दण्डाधिकारी) अथवा प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आदेश पर और 1/- रूपया (एक रूपया) विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

10. धारा -14 के प्रयोजनार्थ अवधि :-

(1) जहाँ किसी शिशु के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के किया गया हो वहाँ ऐसे शिशु के माता-पिता या संरक्षक रजिस्ट्रार को शिशु के नाम के संबंध में मौखिक या लिखित सूचना शिशु के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह के भीतर देगा।

परन्तु यदि ऐसी कोई सूचना 12 माह या एक वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु 15 वर्ष के भीतर दी जाती हो तो उसकी गणना निम्न रूप में की जायेगीः-

I. जहाँ रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली , 2009 के प्रारम्भ होने की दिनांक से पूर्व कराया गया हो वहाँ ऐसी दिनांक से अर्थात् इस नियमावली की अधिसूचना की दिनांक से या

II. जहाँ रजिस्ट्रकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2009 के लागू होने की तारीख के बाद किया गया हो, वहाँ रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, बशर्ते कि धारा 23 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार-

(क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में हो तो 5/-रूपये (पाँच रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर संबंधित जन्म-रजिस्टर के संबद्ध फारम के सुसंगत स्तम्भ में नाम दर्ज करेगा।

(ख) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में नहीं हो और यदि सूचना मौखिक रूप में दी गई हो तो आवश्यक विशिष्टियाँ देते हुए एक रिपोर्ट देगा और यदि सूचना लिखित रूप में दी गयी हो तो उसे 5/- रूपये (पाँच रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेशित कर देगा।

(2) यथास्थिति,माता-पिता या अभिभावक, धारा-12 के अधीन उसे दिये दिये उद्धरण की प्रति या धारा-17 के अधीन उसे दिया गया प्रमाणित उद्धरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और इस प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रार शिशु के नाम से संबंधित आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उप-नियम-(1) के परन्तुक के खण्ड-(ख) में अधिकथित रूप से कार्रवाई करेगा।

11. जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करना :-

(1) यदि रजिस्ट्रार को यह प्रतिवेदन दिया जाता है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय या प्रारूपिक गलती हो गई हो या यदि ऐसी किसी गलती का उसे अन्यथा पता लगता हो और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में हो तो रजिस्ट्रार इस विषय में जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसी कोई गलती हो गई है तो वह धारा-15 में किये गये उपबंध के अनुसार (उस प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करके) गलती को ठीक करेगा और गलती को यथा उसे कैसे ठीक किया गया है यह दर्शाते हुए ऐसी प्रविष्टि

का एक उद्धरण राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को भेज देगा।

(2) उप-नियम-1 में निर्देशित मामले में, यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं हो तो, रजिस्ट्रर राज्य सरकार को या इसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को रिपोर्ट करके सुसंगत रजिस्टर मंगायेगा तथा इस विषय में जांच करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई गलती हुई है तो वह आवश्यक सुधार कर देगा।

(3) रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर, उप-नियम-(2) में उल्लिखित ऐसी कोई सुधार राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः त्रुटिपूर्ण है तो रजिस्ट्रार त्रुटि की प्रकृति बताने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा प्रस्तुत किये जाने और तथ्यों का या माले की जानकारी रखनेवाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मामले के सही तथ्यों के दिये जाने पर धारा-15 के अधीन विहित रीति से प्रविष्टि का सुधार कर सकेगा।

(5) उप-नियम-(1) और उप-नियम-(4) में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार, उसमें निर्दिष्ट प्रकार के किए गए किसी सुधार की आवश्यक विवरण सहित एक प्रतिवेदन राज्य सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को देगा।

(6) यदि रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रर में कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है, तो वह मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा धारा-25 के अधीन इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवश्यक विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन देगा और उसकी सुनवाई के समय इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(7) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस नियम के अधीन किसी प्रविष्टि का सुधार या उसे रद्द किया गया हो, तो उसकी सूचना उस व्यक्ति के, जिसने धारा'8 या धारा'9 के अधीन सूचना दी है, स्थायी पते पर भेज दी जाएगी।

12- धारा -16 के अधीन रजिस्टर का प्ररूप :-

प्ररूप संख्या-1,2 और 3 के विधिक भाग से जन्म-रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर क्रमशः प्रारूप संख्या-7,8, और 9 का निर्माण होगा।

13. धारा-17 के अधीन भुगतेय फीस और डाक खर्चः-

(1) धारा-17 के अधीन की जानेवाली खोज, जारी किये जाने वाले उद्धरण अथवा अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र के लिए भुगतेय फीस निम्नलिखित होगीः-

		रूपये- पैसे
(क)	प्रथम वर्ष में किसी एक प्रविष्टि की खोज के लिए जिसके लिये खोज की गयी हो	2.00
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए जिसके लिए खोज जारी हो	2.00
(ग)	प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिए	2.00
(घ)	जन्म अथवा मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र देने के लिए	2.00

(2) किसी जन्म या मृत्यु के संबंध में ऐसा कोई उद्धरण रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, यथा स्थिति फारम संख्या-5 या फारम संख्या-6 में निर्गत किया जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की धारा -76 में उपबन्धित रीति से प्रमाणित किया जायेगा।

(3) यदि जन्म अथवा मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्ट्रीकरण नहीं पायी जाये, तो रजिस्ट्रार फारम संख्या-10 में अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) ऐसा कोई उद्धरण अथवा अनुपलब्धता -प्रमाण-पत्र उसकी मांग करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकेगा या इस निमित्त डाक-खर्च के भुगतान किये जाने पर डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

14. धारा -19 (1) के अधीन अन्तराल और सामयिक विवरणियों का फारम :-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक माह से संबंधित प्रतिवेदन करने वाले फारमों के सभी सांख्यिकीय भागों को संक्षिप्त मासिक सारांश प्रतिवेदन के साथ फारम संख्या-11 में जन्म के लिए फारम संख्या -12 में मृत्यु के लिए और फारम संख्या-13 में मृत -जन्म के लिए मुख्य रजिस्ट्रार या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को आगामी माह की 5 (पाँच) तारीख को या उसके पूर्व भेजेगा।

(2) इस प्रकार विनिर्दिष्ट पदाधिकारी, प्राप्त हुए ऐसे सभी प्रतिवेदन फारमों के सांख्यिकीय भागों को उस माह की 10 (दस) तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को अग्रेसित कर देगा।

15. धारा '19 (2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन :-

धारा-19 की उप -धारा-(2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित फारम की सारणियों में होगी और उसका संकलन संबंधित वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व कर लिया जायेगा तथा उसका प्रकाशन उसके पश्चात्, यथाशीघ्र, किन्तु किसी भी दषा में उक्त तारीख से पाँच माह के बाद नहीं किया जायेगा।

16- प्रशमन करने वाले अपराधों के लिए शर्तें :-

(1) धारा-23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनिमय के अधीन अपराधिक कार्यवाहियों के शुरू किये जाने से पूर्व या पश्चात् कर सकेगा यदि इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी का यह समाधान हो जाये कि अपराध (अनवधानतावश) अन्वेक्षावश या प्रथमबार किया गया है।

(2) ऐसे किसी अपराध का प्रशमन, धारा-23 की उप-धारा (1),(2) और (3) के अधीन अपराधों के लिए अधिक से अधिक 50/- रूपये (पचास रूपये) और उपधारा (4) के अधीन अपराधों के लिए अधिक से अधिक 10/- रूपये (दस रूपये) तक की ऐसी राशि के भुगतान पर, जो उक्त पदाधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा।

17. धारा-30 (2) (ट) के अधीन रजिस्टर और अन्य अभिलेख :-

(1) जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर, स्थायी महत्व के अभिलेख होंगे और वे नष्ट नहीं किये जायेंगे।

(2) अधिनियम की धारा-13 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने से संबंधित न्यायालय के आदेश तथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा वे नष्ट नहीं किये जायेंगे।

(3) धारा-10 की उप धारा-(3) के अधीन मृत्यु के कारण के संबंध में दिया गया प्रमाण - पत्र मुख्य रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा कम-से-कम पाँच वर्ष तक रखा जायेगा।

(4) प्रत्येक जन्म-रजिस्टर, और मृत-जन्म-रजिस्टर, रजिस्ट्रार द्वारा, जिस कलेन्डर वर्ष से वह संबंधित हो उसकी समाप्ति के पश्चात् बारह माह की कालावधि तक अपने कार्यालय में रखा जायेगा, तत्पश्चात् ऐसा रजिस्टर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अंतरित कर दिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास
विभाग,
झारखण्ड, राँची।